भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 209

उत्तर देने की तारीख 25 नवंबर, 2024

सोमवार, 4 अग्रहायण 1946 (शक)

पीएम संकल्प योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को निधि का आवंटन

209. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री संकल्प योजना के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को कोई निधि आवंटित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए प्रधानमंत्री संकल्प योजना के अंतर्गत शुरू किए गए कार्यकलापों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश के लिए संस्थागत प्रशिक्षण हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कोई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और कितनी निधि आबंटित की गई है, किए गए कार्य के स्वरूप क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) वित्तीय-वर्ष 2024-25 के दौरान, संकल्प स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

(ख) संकल्प पहल के हिस्से के रूप में, आंध्र प्रदेश में विभिन्न कार्यकलाप अर्थात प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), स्किल यूनिवर्स ऐप, उद्योग अनुभव दौरे, उद्योग शिखर सम्मेलन, महिला और एससी/एसटी विशिष्ट प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उद्योग

अनुकूलित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईसीएसटीपी) और रोजगार मेले कार्यान्वित की गई हैं।

(ग) **"संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना"** के तहत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय ने तीन स्कीमों अर्थात्, (i) वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास; (ii) मौजूदा सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नत करना; और (iii) पॉलिटेक्निक स्कीम के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य को सहायता प्रदान की है।

इन स्कीमों के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नए आईटीआई के उन्नयन और स्थापना के साथ-साथ आंध्र प्रदेश सहित पॉलिटेक्निक की स्थापना और उन्नयन के लिए अनुदान जारी किया गया।

इन तीन स्कीमों में से दो स्कीमें अर्थात वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास और मौजूदा सरकारी आईटीआई को मॉडल आईटीआई में उन्नत करना, 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गई हैं, जबकि पॉलिटेक्निक स्कीम 31 मार्च 2026 तक प्रचालन में है। उपरोक्त इन स्कीमों के बारे में विवरण निम्नानुसार हैं:-

i. **वामपक्ष उग्रवाद प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास:** इस स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ 48 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) (10 राज्यों के 48 जिलों में प्रति जिले एक आईटीआई) और 61 कौशल विकास केंद्रों (एसडीसी) (8 राज्यों के 31 जिलों में प्रति जिले दो एसडीसी) की स्थापना की परिकल्पना की गई है। स्कीम की कुल लागत 401.28 करोड़ रुपए थी, और यह 31 मार्च, 2024 तक प्रचालन में थी।

आंध्र प्रदेश के एक जिले, अर्थात अल्लूरी सीता राम राजू (पूर्व में विशाखापत्तनम), को गडुगुपाली, हुकुमपेटा मंडल में एक नई आईटीआई की स्थापना के लिए इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को 6.51 करोड़ रुपए (केंद्रीय हिस्सा) की राशि आबंटित की गई, जिसमें से 4.12 करोड़ रुपए जारी किए गए।

ii. **मौजूदा सरकारी आईटीआई को आदर्श आईटीआई में अपग्रेड करना:** इस स्कीम के तहत, किसी राज्य में मौजूदा आईटीआई को आदर्श आईटीआई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसे सर्वोत्तम पद्धतियों, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण वितरण को प्रदर्शित करने वाले संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इस स्कीम का परिव्यय 238.08 करोड़ रुपए था और यह 31 मार्च, 2024 तक प्रचालन में थी। मौजूदा आईटीआई को आदर्श आईटीआई में अपग्रेड करने के लिए 29 राज्यों के 35 आईटीआई की पहचान की गई थी। आईटीआई गजुवाका के उन्नयन स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले

को शामिल किया गया था। इस स्कीम के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को करोड़ रुप 6.30ए (केंद्रीय हिस्सा) की राशि आबंटित और जारी की गई थी।

iii. **पॉलिटेक्निक स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत, पूरे देश में पॉलिटेक्निक के मात्रात्मक विस्तार, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और देश में पॉलिटेक्निक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

'पॉलिटेक्निक स्कीम' के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**उप-स्कीम के नाम**	**कवर किए गए पॉलिटेक्निकों की संख्या**	**आबंटित निधि**
1	चयनित पॉलिटेक्निक में महिला छात्रावासों के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता	27	27.00 करोड़ रुपए
3	चयनित पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता	35	50.10 करोड़ रुपए
4	पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास स्कीम (सीडीटीपी)	29	19.72 लाख रुपए प्रति पॉलिटेक्निक प्रति वर्ष आवर्ती

*****